तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2018	वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली दिनांक 09.08.2018 को पेश हो। पूर्व स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**	
09.08.2018	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। निर्णय जुदागाना लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की गई। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**	रेकर्ड भेजा 1104 16/8/18
20.08.2018	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2018 के पेज संख्या 5 के चरण संख्या 2 की पंक्ति संख्या 2 में प्रकरण संख्या 1323/2014 में तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 अंकित हो गया है, जबकि निर्णय अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी अर्थात न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 12/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 को ही अपास्त किया गया है। इस कारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 व 153 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 52/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2018 के पेज संख्या 5 के चरण संख्या 2 की पक्ति संख्या 2 में अंकित प्रकरण संख्या 1323/2014 में तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 को निर्णय दिनांक 09.08.2018 से विलोपित किया जाता है। तद्नुसार उक्त आदेश को इस प्रकार पढा व समझा जावे – "परिणाम स्वरूप इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 06.09.2016 को Withdrow करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ जिला कलक्टर पाली को प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर, अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।" यह आदेश निर्णय दिनांक 09.08.2018 का आवश्यक भाग व अंग रहेगा। तद्नुसार निर्णय दिनांक 09.08.2018 को पढ़ा व समझा जावे। पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली** राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	